न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 76/2024

1. अमरसिंह । पुत्रगण लज्जाराम जाति त्यागी ग्राम बगचौली खार तहसील मनियां
2. ओमप्रकाश । जिला धौलपुर
3. कमलसिंह ।
4. जगदीश प्रसाद ।
5. महावीर ।
6. रामदुलारी पत्नी लज्जाराम। जाति त्यागी निवासी ग्राम बगचौली खार तहसील मनियां
7. सन्तो पुत्री लज्जाराम । जिला धौलपुर

....वादीगण

बनाम

1. जी.एस.एस. मनियां 132 के वी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जरिये सहायक अभियन्ता 132 के वी जी एस एस मनियां
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (टी एण्ड सी) रा0 रा0 वि0 प्र0 नि0 हिण्डौन।
3. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता (220 के वी जी एस एस) रा0 रा0 वि0 प्र0 नि0 धौलपुर डिलीट
4. तहसीलदार साहब मनियां जिला धौलपुर
5. श्रीमान् सहायक अभियन्ता (टी एण्ड सी) आर वी पी एन बाडी रोड़ 220 के वी जी एस एस कैम्पस धौलपुर

............प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा सादेश व्यादेश हटाये जाने कब्जा आधीन धारा 188, आरटीए।

<u>निर्णय</u> दिनांक 10.12.2024

वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है, कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 821/680 एवं 680/769 बाकै ग्राम बगचौली खार तहसील मनियां जिला धौलपुर वादीगण खातेदार काश्तकार है, और इसी हैसियत से काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 849/680, 977/850 बाकै ग्राम बगचौलीखार तहसील मनियां जिला धौलपुर का प्रतिवादी संख्या 1 आधिपत्यधारी है। खसरा नम्बर 849/680 में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बना है तथा खसरा नम्बर 977/850 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन निर्माणाधीन है। खसरा नम्बर 716 गैरमुमकिन रास्ता का खसरा नम्बर है तथा खसरा नम्बर 722 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (44) का खसरा नम्बर है। खसरा नम्बर 722 से खसरा नम्बर 716 गैर मुमकिन रास्ता में होकर वादीगण अपने खसरा नम्बर 821/680 व 680/769 के लिए आते जाते थे तथा अपने कृषि वाहनों को अपने खेतों तक आने जाने में काम में लेते थे। जी एस एस मनियां 220 के वी ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण से वादीगण के खसरा नम्बर 821/680 एवं 680/769 के लिऐ जाने आने का रास्ता बंद कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने 220 के वी ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए खसरा नम्बर 977/850 एवं 132 के. वी. के लिए 849/680 की चारों ओर से बाउण्ड्री के अन्दर दबा दी गई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने खसरा नम्बरान में मिला ली है, जिससे वादीगण के खसरा नम्बरान का रकवा कम हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1 अपनी बाउण्ड्री के अन्दर खाली भूमि होने के बावजूद भी वादीगण के विवादग्रस्त खेतों में पोल एवं टावर लगाने को उतारू है। वादीगण अपने विवादित खसरा नम्बर में जाने के लिए ट्रेक्टर से मिट्टी हटाकर के प्रतिवादी के खसरा नम्बर 849/680 की पश्चिमी वाउण्ड्री के सहारे कच्चे रास्ते का निर्माण कर रहे थे जिसको प्रतिवादी ने रोक दिया और गलत तथ्यों पर असत्य कथन करके दिनांक 25.06.2024 को एक

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

मत्र तहसीलदार मनियां को प्रस्तुत किया है, जिसकी एक कॉपी वादीगण को भी दी है। लेकिन तहसीलदार साहब ने आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। दिनांक 26.07.2024 को प्रतिवादी के कर्मचारियों ने धमकी दी कि हम तुम्हें अपनी वाउण्ड्री के बगल से नहीं निकलने नहीं देंगे तथा तुम्हारे खेत में बड़े बड़े बिजली के टावर खड़े कर देंगे। जिससे तुम अपने खेतों में काश्त भी नहीं कर सकोगे। अगर तुमने कोई कार्यवाही करने की कोशिश की तो तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराकर तुम्हें थाने में बंद करा देंगे। प्रतिवादी संख्या 1 के कर्मचारियों की धमकी से वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पास गये और कर्मचारियों की धमकी के बारे में भी बताया वह सही है हम तुम्हारे खेत में होकर अपने 220 के वी ग्रिड के लिए लाईन डालेंगे, जब वादीगण ने कहा कि आपकी वाउण्ड्री के अन्दर कई बीघा जमीन खाली पड़ी है, फिर भी आप हमारे खेत अन्दर टावर क्यों लगाना चाहते हो तो उन्होंने कह दिया कि यह तो हमारी मर्जी है हम चाहे जहॉ होकर लाईन निकाल सकते है। इससे वादीगण को भारी भय हो गया है अगर वादीगण के विवादित खसरा नम्बर में बिजली के टावर गाढ़ दिये तो वादीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिना फसल किये वादीगण के परिवार कस भरण–पोषण नहीं हो सकेगा जिससे वादीगण एवं उनके परिवारीजनों के भूखों मरने की स्थिति बन जायेगी। प्रतिवादीगण 132 के.वी. से 220 के.वी. के लिए लाईन ला रहे है, जिसके लिए उन्हें अपने खसरा नम्बरान के अलावा अन्य किसी खसरा नम्बरान में पोल गाड़ने या टावर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण जान–बूझकर वादीगण को नुकसान पहुॅचाने की गरज से वादीगण के खसरा नम्बरान में पोल गाढ़ने व टावर लगाने पर उतारू है। प्रतिवादीगण को बिना विधिक प्रकृिया अपनाये एवं बिना अवाप्ति की कार्यवाही किये वादीगण की विवादित आराजी में जबरन वाउण्ड्री करने एवं उसमें जबरन बिजली का पोल व टावर लगाने तथा वादीगण के रास्ते को बंद करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। खसरा नम्बर 716 गैर–मुमकिन रास्ते से होकर वादीगण के पूर्वी हिस्से से एवं उत्तरी हिस्से से प्रतिवादीगण की जो वाउण्ड्री लगी है, वहॉ तक पक्का रोड़ बना हुआ है। प्रतिवादीगण ने वाउण्ड्री करने इस रोड़ को बंद कर वादीगण के आवागमन को बंद कर दिया है। वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा बंद किये गये खसरा नम्बर 716 गैर–मुमकिन रास्ता को सादेश–व्यादेश लगाने एवं जबरन 20 फीट जगह दबाकर बनाई गई वाउण्ड्री को मौके पर तहसीलदार से निशानदेही कराकर अपने खसरा नम्बरान की भूमि पूर्ण कराते हुए सादेश व्यादेश तुड़वा पाने एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है, कि प्रतिवादीगण वादीगण की विवादित आराजी में बिना विधिक प्रकृिया अपनाये बिजली के पोल व टावर नहीं लगाये जिसके वादीगण पूर्ण अधिकारी एवं दावेदार है। इसलिए दावा वादीगण डिक्री किया जाकर बाउण्ड्री को ध्वस्त किये जाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण की ओर से सहायक अभियन्ता 132 के वी जी एस एस मनियां उपस्थित आये और उन्होंने दावा हेतु जबाबदावा प्रारम्भिक आपत्ति इस आशय की पेश की, कि खसरा नम्बर 977/850 में 220 के वी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण नहीं किया जा रहा है बल्कि 850/680 में 2.5 हैक्टेयर भूमि में किया जा रहा हैं 220 के वी जी एस एस निर्माण से आने जाने का कोई रास्ता नही था उक्त भूमि उबड–खाबड थी। जिसे इस विभाग द्वारा समतल किया गया है एवं उक्त भूमि पर बाउण्ड्री करवाई गई है। वादीगण का यह कहना गलत है कि वादीगण के खसरे की करीब 20 फीट भूमि दबा ली गई है, जबकि वादीगण द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था। जिसे तहसील मनियां कार्यालय द्वारा हटवाकर इस कार्यालय को कब्जा दिया गया एवं वादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे के कारण इस विभाग को माननीय जिला कलक्टर द्वारा आवटित 3.5 हैक्टेयर भूमि में से मात्र 2.5 हैक्टेयर भूमि का कब्जा तहसील मनियां द्वारा दिया गया है। एवं शेष भूमि अभी भी वादीगण के द्वारा कब्जा रखी है। वादीगण का यह कहना गलत है कि जी एस एस की वाउण्ड्री के अन्दर खाली भूमि उपलब्ध है जहॉ पर टावर

सहायक कलक्टर धौलपुर (राज०)

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)

चूक प्रतिवादीगण वादीगण के विवादग्रस्त आराजी में बिजली के खेत एवं

निर्माण नहीं किया जा रहा है वास्तव में जी एस एस के अन्दर एक टावर बनाया जा चुका है एवं दूसरा टावर अपने तकनीकी मापदंड, कोण, सर्वे एवं तैयार प्रोफाईल के अनुसार वादीगण के खेत में आ रहा है। जो कि पूर्व में स्थापित 132 के वी जी एस एस को निमार्णाधीन 220 के वी जी एस एस को आपस में जोड़ेगा। उक्त टावर का निर्माण एवं जगह तकनीकी मापदंड के अनुसार तय की जाती हैं एवं इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त टावर उच्च दक्षता लाईन का होता है जिसे सुरक्षा की दृष्टि से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वादीगण ने ग्रिड स्टेशन की बाउण्ड्री को क्षति पहुँचाने की नीयत से वाउण्ड्री के नीचे से मिट्टी काट दी थी। सायलान उक्त बाउण्ड्री को गिराकर वहाँ से रास्ता बनाना चाह रहा था। जिसकी शिकायत सहायक अभियन्ता ग्रिड मनिया द्वारा तहसीलदार मनियां को की गई थी। वादीगण का यह कहना गलत है कि कर्मचारियों द्वारा उन्हें धमकी दी गई वास्तव में जब वादीगण से टावर लगाने के लिए निवेदन किया गया तो वादीगण द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया एवं जान से मारने की धमकी दी गई एवं झूठे मुकदमे लगाकर फसाने की धमकी दी गई। एवं वादीगण एवं उनके परिवारजनों ने धक्का मारकर कर्मचारियों को अपने खेत से भगा दिया, जबकि उस समय वादीगण के खेत में कोई फसल नहीं थी। वादीगण का यह कहना गलत है कि 220 के वी टावर जी एस एस के खसरे के अलावा और कही टावर लगाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में टावर निर्माण की जगह टावर की तकनीकी मापदंड, कोण, एवं सर्वे द्वारा निर्धारित की जाती है। जो कि टावर प्रोफाईल में वर्णित हैं एवं वादीगण का यह कहना भी गलत है कि टावर निर्माण हेतु कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। वास्तव में भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 10 के तहत टेलीग्राफ ऑथरिटी जनहित में किसी भी संपत्ति / जमीन पर टेलीग्राफ लाईनों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य कर सकती है। एवं भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अनुसार उक्त लाईन, अलवर संस्करण (जो धौलपुर में भी प्रकाशित होता है।) में निकलवाई जा चुकी है। एवं उक्त अधिनियम के तहत लाईन निर्माण कार्य के कारण काश्तकार की फसल को नुकसान होता है तो उक्त फसल का मुआवजा देने का प्रावधान है। वादीगण का यह कहना गलत है कि टावर लगने से अपूर्णनीय क्षति होगी वास्तव में टावर लगाने पर किये गये खड्डो को भर दिया जाता है एवं जमीन को पहले की तरह एक जैसा कर दिया जाता है बाद में सिर्फ चार एंगल ही जमीन से ऊपर जाते है एवं टावर निर्माण में खराब हुई फसल का मुआयना कर फसल की दर कृषि मण्डी से लेते हुए, तहसील कार्यालय से प्रमाणित कर किसान को फसल मुआवजा इस विभाग द्वारा दिलवाया जाता है। वादीगण का यह कहना कि पक्के रोड़ को बंद कर दिया गया है। वास्तव में सायलान के खेत तक कोई पक्का रोड़ नहीं जाता है। इस विभाग द्वारा सिर्फ आवटिंत भूमि पर ही बाउण्ड्री का निर्माण कार्य किया गया है।

प्रकरण में वादीगण की वजह से माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में प्रस्तावित 220 के वी जी एस एस मनियां के निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। उक्त जी एस एस के निर्माण होने पर मनियां एवं धौलपुर के किसानों एवं जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं उच्च वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति होगी, जिससे वर्षा से आर रही कम वोल्टेज एवं विद्युत कटौती की समस्या से राहत मिलेगी। उक्त जी एस एस के निर्माण कार्य में गलत तथ्यों को आपके समक्ष पेश कर वादीगण द्वारा राजकार्य में बाधा के साथ– साथ मनियां एवं धौलपुर की जनता एवं किसानों के हितों को भी बाधा पहुँचायी जा रही है। इसलिए झूठे एवं गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत दावा वादीगण को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हाजा प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद एवं जबाब तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन किया गया। प्रकरण में अग्रिम सुनवाई से पूर्व भारत सरकार के भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 पर उभयपक्ष को सुना जाना हम उचित समझते है।

सहायक कलक्टर (मु.) धौलपुर (राज०)

सहायक कलक्टर मुख्या०
धौलपुर (राज०)

चूंक प्रतिवादीगण वादीगण के विवादग्रस्त आराजी में बिजली के पोल एवं टावर लगाने पर उतारू है। जो कभी भी लगा सकते है। इसलिये 02 दो

भारतीय टेलीग्राफ एक्ट के संबंध में बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादीगण ने कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादीगण वादीगण की विवादित आराजी में विद्युत टावर का निर्माण करना चाहते है। जबकि पास ही प्रतिवादीगण की आराजी है। जहाँ टावर का निर्माण किया जा सकता है। प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी में जबरन विद्युत टावर का निर्माण कर रहे है। जिसके कारण वादीगण की आलू की फसल नुकसान हो रहा है। वादीगण अपनी आराजी के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है, प्रतिवादीगण बिना वादीगण की अनुमति वादीगण की आराजी में टावर का निर्माण नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी प्रकार का कब्जा कर सकते है। प्रतिवादीगण भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 की विधिक पूर्ण पालना ना करते हुए अपनी मनमर्जी से टावर लगाने की कार्यवाही कर रहे है। जब वादीगण ने न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत कर दिया है तो उक्त एक्ट की आड़ में न्यायालय का गुमराह करना चाहते है। हाजा प्रकरण किसी भी प्रकार से भारतीय टेलीग्राफ एक्ट से बाधित नहीं है। चूंकि विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की आराजी है इसलिए वादीगण का प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाकर साक्ष्य के आधार पर हाजा प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

सहायक अभियन्ता (प्रसारण एवं निर्माण) राजस्थान प्रसारण निगम धौलपुर ने दौराने बहस कथन किया, कि वादीगण द्वारा झूठे, मनगढ़त तथ्यों के आधार पर दावा माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में प्रस्तावित 220 के वी जी एस एस मनियां के निर्माण कार्य में बाधा पहुँचाने की नीयत से प्रस्तुत किया है। उक्त जी एस एस के निर्माण होने पर मनियां एवं धौलपुर के किसानों एवं जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं उच्च वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति होगी, जिससे वर्षा ऋतु से आ रही कम वोल्टेज एवं विद्युत कटौती की समस्या से राहत मिलेगी। उक्त जी एस एस के निर्माण राजकार्य में बाधा के साथ– साथ मनियां एवं धौलपुर की जनता एवं किसानों के हितों को भी बाधा पहुँचायी जा रही है। विद्युत विभाग द्वारा टावर निर्माण की जगह टावर की तकनीकी मापदंड, कोण, एवं सर्वे द्वारा निर्धारित की जाती है। जो कि टावर प्रोफाईल में वर्णित हैं। टावर निर्माण में भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 10 के तहत टेलीग्राफ ऑथरिटी जनहित में किसी भी संपत्ति/ जमीन पर टेलीग्राफ लाईनों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य कर सकती है। एवं भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अनुसार उक्त लाईन, अलवर संस्करण (जो धौलपुर में भी प्रकाशित होता है।) में निकलवाई जा चुकी है। एवं उक्त अधिनियम के तहत लाईन निर्माण कार्य के कारण काश्तकार की फसल को नुकसान होता है तो उक्त फसल का मुआवजा देने का प्रावधान है। टावर लगाने पर किये गये खड्डो को भर दिया जाता है एवं जमीन को पहले की तरह एक जैसा कर दिया जाता है बाद में सिर्फ चार एंगल ही जमीन से ऊपर जाते है एवं टावर निर्माण में खराब हुई फसल का मुआयना कर फसल की दर कृषि मण्डी से लेते हुए, वादीगण अपनी विवादित आराजी पर बाद में निर्विघ्न रूप से फसल लाभ प्राप्त कर सकते है। हाजा प्रकरण में भी विद्युत विभाग द्वारा समस्त विधिक कार्यवाही को अपनाया गया है। इस संबंध में अपने जबाब के साथ समस्त हाजा प्रकरण में प्रस्तुत किये गये है। अपने कथनों के समर्थन में 2014 (डब्ल्यू एल सी) राज0 पेज संख्या 767 पेश कर कथन किया कि विद्युत अधिनियम 2003 धाराये 10 (3) के अन्तर्गत कृषि क्षेत्रों में उच्च तनाव के विद्युत स्तंभों तथा लाटों की संरचना, औचित्य, प्राधिकारियों का कृत्य विधितः प्राधिकृत है खेतों के स्वामी सक्षम सिविल न्यायालय में प्रतिकर के लिए अभिगम कर सकते है। एआईआर 2010 (एनओसी) 885 (ए.पी.) पेज संख्या 289 पेश कर कथन किया कि निजी भूमि पर खंभे और ट्रांसमिशन लाईनों का निर्माण टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 10 के तहत शक्तियों का प्रयोग प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है, जब विद्युत अधिनियम की धारा 164 के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा आदेश पारित किया जाता है, ना तो भूमि का अधिग्रहण और ना ही मालिक की सहमति का आवश्यकता है। वादीगण

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

द्वारा प्रस्तुत दावा झूठे एवं कपोल कल्पित कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है। जबकि वादीगण स्वयं राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के कार्य कर रहे है, एवं मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में प्रस्तावित 220 के वी जी एस एस मनियां के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 से पूर्ण रूप से बाधित है। इसलिए दावा वादीगण इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, वकील उभयपक्ष के कथनों का मनन किया, वादीगण द्वारा प्रस्तुत उसकी आराजी में प्रतिवादीगण द्वारा विद्युत टावर को रोकने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजातों से यह स्पष्ट है, कि विद्युत विभाग के तकनीकी मापदंड, कोण, सर्वे एवं तैयार प्रोफाईल के अनुसार एक टावर का निर्माण वादीगण के खेत में आ रहा है। जो कि पूर्व में स्थापित 132 के वी जी एस एस को निमार्णाधीन 220 के वी जी एस एस को आपस में जोड़ेगा। प्रतिवादीगण के इस कथन से न्यायालय सहमत है कि टावर का निर्माण एवं जगह तकनीकी मापदंड के अनुसार तय की जाती हैं एवं इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त टावर उच्च दक्षता लाईन का होता है जिसे सुरक्षा की दृष्टि से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उक्त टावर का निर्माण धौलपुर एवं मनियां क्षेत्रों में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु किया जा है। भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 10 के तहत टेलीग्राफ ऑथरिटी जनहित में किसी भी संपत्ति/ जमीन पर टेलीग्राफ लाईनों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य कर सकती है। इसके लिए भूमि अवाप्त करने या भूमि स्वामी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजातों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा टॉवर लगाये जाने से पूर्व सभी विधिक प्रक्रियाओं की पालना की है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें हाजा प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है, कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 से बाधित है। इसलिए दावा वादीगण इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायालय उचित समझती है।

अतः आदेश है, कि दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)